न्याय आपके द्वार अभियान वर्ष 2016

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी देसूरी केम्प नारलाई

दीनमोहम्मद बनाम सरकार

किस्म मुकदमा 136 LR Act नं. 781/B सन् 2016

2016/0018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/6/16	पत्रावली न्याय आपके द्वार केम्प नारलाई पेश हुई। प्रार्थी प्रार्थना 136 LR Act विरुद्ध सरकार (तहसीलदार) प्रस्तुत किया जाकर दर्ज रजिस्टर हुआ। प्रार्थी ने निवेदन किया कि हमारी खातेदारी भूमि मौजा नारलाई में खसरा 326 से 334 कुल 8.98 हेक्टर चाहखा पुत्र असकर, कादर दीन मोहम्मद, यासीन पुत्र करीम 1/2 संयुक्त दर्ज थी परन्तु जमाबंदी 2054-57 में कादर व दीन मोहम्मद एक ही नाम दर्ज हो गया उसे शुद्ध करावें। इस तहसीलदार से रिपोर्ट ली गई जिसने बताया कि कादर-दीन मोहम्मद का एक नाम हो गया। इसमें प्रार्थी की प्रार्थना का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर प्रार्थी की प्रार्थना स्वीकार योग्य पाया गया है। अतः निर्णय पृथक से लिखाया जाकर पत्रावली बन्द किया। पत्रावली बाद कार्यवाही फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (पर्वतसिंह चुण्डावत) प्रभारी अधिकारी न्याय आपके द्वार अभियान 2016 उपखण्ड अधिकारी देसूरी केम्प	

न्याय आपके द्वार अभियान 2016

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर देसूरी (जिला. पाली)

लोक अदालत / केम्प कोर्ट 2016

न्याय आपके द्वार अभियान वर्ष 2016

पीठासीन अधिकारी : श्री पर्वतसिंह चुण्डावत, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :

प्रार्थीगण :–
दीन मोहम्मद पुत्र करीम खां
निवासी नारलाई

बनाम

अप्रार्थीः–
राजस्थान सरकार तहसीलदार

राजस्व प्रार्थना–पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम1956

तारीख रजूः 10/06/2016

उपस्थितः. वादीगण

–:: निर्णय ::–

दिनॉकः– 10/06/2016

"लोक अदालत / केम्प कोर्ट –2016 में राज्य सरकार के निर्देशानुसार मजमा–ए–आम शिविर ग्राम पंचायत देसूरी पर आयोजित लोक अदालत / केम्प कोर्ट" में प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम नारलाई के खसरा नम्बर 326 से 334 कुल रकबा 8.98 में प्रार्थी का नाम चान्द खां पुत्र असकर,कादरदीन मोहम्मद पुत्र करीम,धापु पत्नी यासीन, सदीक बरकत पि. यासीन 1/2 दर्ज है जो गलत है। प्रार्थी के अनुसार कादर व दीन मोहम्मद अलग–अलग नाम दर्ज करने का निवेदन किया।

पटवारी हल्का नारलाई व भू.अ.नि देसूरी की रिर्पोट ली गई एवं तहसीलदार देसूरी की अनुशंषा में प्रार्थी का नाम मिसल बदोबस्त 2041–60 के खाता संख्या 133 में कादर,दीन मोहम्मद,यासीन पि. करीम कौम छीपा मुसममान दर्ज है। जमाबंदी संवत 2046–49 के खाता संख्या 118 एवं 2020 से 2053 में भी कादर,दीन मोहम्मद पि. करीम सही दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2054 से 2057 के खाता संख्या 114 में कादरदीन मोहम्मद पि. करीम लिपिकीय भूल वश दर्ज किया गया जिसे शुद्ध किया जाना उचित है।

हमने पत्रावली प्रस्तुत दस्तावेजात,पटवारी व भू.अ.नि. की रिर्पोट , तहसीलदार देसूरी की अनुशंषा के आधार अवलोकन करने से स्पष्ट साबित होता है कि प्रार्थी का नाम ाम दुरस्त किया जाना उचित समझता हूँ।

–:: आदेश ::–

अतः सरहद मौजा ग्राम नारलाई के खसरा नम्बर 326 से 334 कुल रकबा 8.98 में प्रार्थी का नाम चान्द खां पुत्र असकर,कादरदीन मोहम्मद पुत्र करीम,धापु पत्नी यासीन, सदीक बरकत पि. यासीन 1/2 के स्थान पर चान्द खां पुत्र असकर,कादर,दीन मोहम्मद पुत्र करीम,धापु पत्नी यासीन, सदीक बरकत पि. यासीन 1/2 दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार, देसूरी को पालना हेतू भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेखा भण्डार जमा हो।

(पर्वतसिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी, देसूरी
जिला.पाली (राज0)

प्रभारी अधिकारी न्याय आपके द्वार अभियान 2016
उपखण्ड अधिकारी देसूरी
केम्प ....

निर्णय आज दिनॉक 10/06/2016 को लोक अदालत / केम्प कोर्ट 2016 शिविर अटल सेवा केन्द्र नारलाई में सरे मजमा आम सुनाया गया।

(पर्वतसिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी, देसूरी
जिला.पाली (राज0)

प्रभारी अधिकारी न्याय आपके द्वार अभियान 2016
उपखण्ड अधिकारी देसूरी
केम्प ....

न्याय आपके द्वार अभियान 2016
उपखण्ड अधिकारी, देसूरी